2013 का विधेयक संख्या 17

राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

लोक प्रयोजनों के लिए अर्जित या अर्जन के अधीन भूमियों के अंतरण पर और अधिसूचित क्षेत्र में स्थित किसी भी भूमि में हित के अर्जन पर कतिपय निर्बन्धन अधिरोपित करने और इससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से, इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा, ऐसे क्षेत्रों के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "विकास" से, किसी भूमि में, या उस पर, या उसके नीचे निर्माण, इंजिनियरी, खनन या अन्य संक्रियाओं का कार्यान्वयन या किसी भवन या भूमि में या किसी भवन या भूमि के उपयोग में कोई तात्विक परिवर्तन करना अभिप्रेत है, और इसमें किसी भूमि का पुनर्विकास और कोई अभिन्यास, और उप-विभाजन, तथा कृषि, उद्यानकृषि, फूलों की खेती, वानिकी, डेयरी विकास, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, पशु प्रजनन, मत्स्य पालन और अन्य इसी प्रकार के क्रियाकलाप भी सम्मिलित हैं,

तथा "विकसित करना" का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(ग) "सरकार" से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "भूमि" से कृषि भूमि अभिप्रेत है;

(ङ) "अधिसूचित क्षेत्र" से अभिप्रेत है राजस्थान राज्य में ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसे दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं.23) की धारा 3 के अधीन अधिसूचित किया गया हो;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(छ) "स्कीम" से राजस्थान के नगरों के योजनाबद्ध विकास के लिए भूमि के अर्जन की स्कीम अभिप्रेत है; और

(ज) "नगर विकास अधिनियम" से राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों के विकास या सुधार का उपबंध करने वाले राजस्थान राज्य विधान-मण्डल के अधिनियम अभिप्रेत हैं।

3. राज्य सरकार द्वारा अर्जित भूमियों के अन्तरण का प्रतिषेध.- कोई भी व्यक्ति राजस्थान राज्य में स्थित ऐसी किसी भी भूमि या उसके किसी भाग का विक्रय, बंधक, दान, पट्टे द्वारा या अन्यथा अन्तरण होना तात्पर्यित नहीं करेगा, जिसे सरकार द्वारा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम सं.1) के अधीन या किसी लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन का उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन अर्जित कर लिया गया है।

4. जिन भूमियों की बाबत अर्जन की कार्यवाहियां आरंभ कर दी गयी हों उनके अन्तरण पर निर्बन्धन.- कोई भी व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, राजस्थान राज्य में स्थित ऐसी किसी भूमि अथवा उसके किसी भाग का विक्रय, बन्धक, दान, पट्टे द्वारा या अन्यथा अन्तरण या अन्तरण होना तात्पर्यित नहीं करेगा, जिसे स्कीम के संबंध में अर्जित किया जाना प्रस्तावित किया गया हो और जिसके संबंध में सरकार द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894(1894 का केन्द्रीय अधिनियम सं.1) की धारा 6 के अधीन या लोक प्रयोजन हेतु भूमि के

अर्जन का उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि के तत्सम उपबन्ध के अधीन सरकार द्वारा इस प्रभाव की घोषणा कर दी गयी हो कि ऐसी भूमि या उसके किसी भाग की लोक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है, और उस अधिनियम की धारा 48 के अधीन अथवा ऐसी किसी अन्य विधि के अधीन सरकार ने उस अर्जन को प्रत्याहृत न कर लिया हो।

5. अधिसूचित क्षेत्र में स्थित भूमियों में हित के अर्जन पर निर्बन्धन.- (1) कोई भी व्यक्ति, जो दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) क़े उपबंधों के अनुसार अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अधिसूचित क्षेत्र में प्रवेश करने या बने रहने का हकदार नहीं है, सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, ऐसे अधिसूचित क्षेत्र में स्थित किसी भी भूमि या उसके भाग में कोई हित अर्जित नहीं करेगा।

(2) कोई भी कम्पनी या निगमित निकाय, सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, ऐसे अधिसूचित क्षेत्र में स्थित किसी भूमि या उसके भाग में कोई हित अर्जित नहीं करेगा।

6. हित के अन्तरण या अर्जन के लिए अनुज्ञा मंजूर करने के लिए आवेदन.- (1) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 4 में निर्दिष्ट किसी भूमि को विक्रय, बंधक, दान, पट्टे द्वारा या अन्यथा अन्तरित करने का इच्छुक है, या धारा 5 में निर्दिष्ट किसी भूमि में कोई हित अर्जित करने का इच्छुक है, सक्षम प्राधिकारी को, ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए जो विहित की जायें, लिखित आवेदन कर सकेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, आवेदित अनुज्ञा को लिखित आदेश द्वारा मंजूर कर सकेगा या मंजूर करने से इन्कार कर सकेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी, निम्नलिखित के लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञा मंजूर करने से इंकार नहीं करेगा-

(क) धारा 4 में निर्दिष्ट किसी भी भूमि के अन्तरण के लिए निम्नलिखित आधारों में से एक या अधिक आधारों के सिवाय, अर्थात्:-

(i) किसी स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उस भूमि की आवश्यकता है या उसकी आवश्यकता होना संभाव्य है; या

(ii) नगर विकास अधिनियमों के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने, या ऐसे किसी भी लोक प्रयोजन के लिए जिसके लिए भूमि अर्जित कर ली गयी हो या की जा रही हो, उस भूमि की आवश्यकता है या उसकी आवश्यकता होना संभाव्य है; या

(iii) नगर विकास अधिनियमों के अर्थान्तर्गत किसी विकास के लिए या ऐसी बातों जैसेकि सार्वजनिक भवन और अन्य लोक संकर्म और जनोपयोगी सेवाएं, सड़कें, आवासन, आमोद-प्रमोद, उद्योग, कारबार, बाजार, विद्यालय और अन्य शैक्षिक संस्थाएं, अस्पताल, सार्वजनिक खुले स्थान तथा अन्य लोकोपयोगी प्रवर्गों के लिए भूमि की आवश्यकता है या आवश्यकता होना संभाव्य है;

(ख) धारा 5 में निर्दिष्ट किसी भी भूमि में किसी हित के अर्जन के लिए निम्नलिखित आधारों में से एक या अधिक आधारों के सिवाय, अर्थात्:-

(i) ऐसा अर्जन अधिसूचित क्षेत्र में लोक व्यवस्था या आवश्यक आपूर्ति या सेवाएं बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो या ऐसा होना संभाव्य हो; या

(ii) ऐसा अर्जन भारत की संरक्षा या सुरक्षा के प्रतिकूल हो या उसका प्रतिकूल होना संभाव्य हो।

(4) जहां सक्षम प्राधिकारी इस धारा के अधीन अनुज्ञा मंजूर करने से इंकार करता है, तो ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा और ऐसे कारणों सहित इंकार करने के आदेश की प्रति आवेदक को संसूचित करेगा।

7. सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील.- (1) धारा 6 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसके द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर, विहित प्राधिकारी को, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों के साथ जो विहित की जायें, अपील फाइल कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील प्राप्त होने पर विहित प्राधिकारी, अपीलार्थी को उस मामले में सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् यथासंभव शीघ्रतापूर्वक अपील का निपटारा करेगा।

(3) इस धारा के अधीन अपील में विहित प्राधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा।

8. भूमि अन्तरण की अनुज्ञा मंजूर करने से इंकार करने के आदेश के प्रवर्तन की कालावधि.- जहां सक्षम प्राधिकारी ने धारा 6 के अधीन अनुज्ञा मंजूर करने से इंकार करने वाला आदेश दिया हो या जहां ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील फाइल किये जाने पर, विहित प्राधिकारी ने धारा 7 के अधीन ऐसे आदेश की पुष्टि करने वाला आदेश दिया हो वहां, अनुज्ञा मंजूर करने से इंकार करने वाला आदेश, सक्षम प्राधिकारी या, यथास्थिति, विहित प्राधिकारी द्वारा आदेश दिये जाने की तारीख से केवल तीन वर्ष की कालावधि के लिए ही प्रवर्तन में रहेगा और उसके पश्चात् अनुज्ञा के लिए धारा 6 के अधीन एक नया आवेदन फाइल किया जा सकेगा।

9. शास्ति.- (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 5 के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा और पूर्वोक्त धारा के उल्लघंन में अर्जित किया गया कोई भी हित, ऐसी दोषसिद्धि पर, तुरन्त ही सरकार के पक्ष में समपहृत हो जायेगा।

10. कम्पनियों द्वारा अपराध.- (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो, तो प्रत्येक व्यक्ति,

जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी था और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी, अपराध के दोषी समझे जायेंगे तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उप-धारा की कोई भी बात किसी भी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध का किया जाना उसकी जानकारी में नहीं था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने को निवारित करने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन जब कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव, या अन्य अधिकारी की सम्मति अथवा मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी ओर से उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है तो वह भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम सम्मिलित है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

11. नियम बनाने की शक्ति.- (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम, निम्नलिखित समस्त या इनमें से किसी भी मामले के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-

(क) वे विशिष्टियां जो धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन किये जाने वाले आवेदन के साथ अंतर्विष्ट होंगी;

(ख) वह प्राधिकारी जिसको धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन अपील फाइल की जा सकेगी, वह प्ररूप, जिसमें ऐसी अपील फाईल की जा सकेगी और वे विशिष्टियां जो ऐसी अपील में अंतर्विष्ट होंगी;

(ग) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाये।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

12. निरसन.- राजस्थान भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम सं. 27) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विद्यमान राजस्थान भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) अधिनियम, 1976 लोक प्रयोजनों के लिए अर्जित या अर्जन के अधीन भूमियों के अन्तरण पर कतिपय निर्बन्धन अधिरोपित करता है। यह उस व्यक्ति को प्रतिषिद्ध करता है जो राजस्थान राज्य में स्थित ऐसी किसी भी भूमि या उसके किसी भाग का विक्रय, बंधक, दान, पट्टे द्वारा या अन्यथा अन्तरण करना तात्पर्यित करता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन या किसी लोक प्रयोजन हेतु भूमि का अर्जन उपबंधित करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन अर्जित कर लिया गया है। यह अधिनियम ऐसी भूमियों के अन्तरण के संबंध में भी निर्बन्धन अधिरोपित करता है जिनके संबंध में, सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, अर्जन की कार्यवाहियां आरंभ कर दी गयी हों।

यह समुचित समझा गया कि पूर्वोक्त अधिनियम को, उसमें दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित भूमियों के अर्जन पर निर्बन्धन को, जहां ऐसा अर्जन अधिसूचित क्षेत्र में लोक व्यवस्था या आवश्यक आपूर्ति या सेवाएं बनाये रखने के प्रतिकूल है या उसका प्रतिकूल होना संभाव्य है अथवा भारत की संरक्षा या सुरक्षा के प्रतिकूल है या उसका प्रतिकूल होना संभाव्य है, सम्मिलित करने के लिए पुन:अधिनियमित किया जाना चाहिए।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

हेमाराम चौधरी,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के निम्नलिखित खण्ड, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, राज्य सरकार को, प्रत्येक खण्ड के सामने वर्णित विषयों के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करेंगे:-

खण्ड	**के संबंध में**
6(1)	ऐसी विशिष्टियां जो किसी आवेदन में अंतर्विष्ट होंगी, विहित करने;
7(1)	वह प्ररूप, जिसमें ऐसी अपील फाइल की जा सकेगी और वह विशिष्टियां जो ऐसी अपील में अंतर्विष्ट होंगी, विहित करने;
11	इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति के हैं और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित हैं।

हेमाराम चौधरी,
प्रभारी मंत्री।

Bill No. 17 of 2013

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN LANDS (RESTRICTIONS ON TRANSFER) BILL, 2013

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to impose certain restrictions on transfer of lands acquired or under acquisition for public purposes and on acquisition of interest in any lands situated in notified area and to provide for the matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Lands (Restrictions on Transfer) Act, 2013.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.-In this Act,unless the context otherwise requires,-

(a) "competent authority" means any person or authority authorized by the Government, by notification in the Official Gazette, to perform the functions of the competent authority under this Act, for such areas as may be specified in the notification;

(b) "development" means the carrying out of building, engineering, mining or other operations in, or over, or under any land or the making of any material change in any building or land or in the use of any building or land, and includes re-development and any lay out, and sub-division of any land and also the provision of amenities and

projects and schemes for development of agriculture, horticulture, floriculture, forestry, dairy development, poultry farming, piggery, cattle breeding, fisheries and other similar activities, and "to develop" shall be construed accordingly;

(c) "Government" means the Government of the State of Rajasthan;

(d) "land" means agricultural land;

(e) "notified area" means any area in the State of Rajasthan notified under section 3 of the Criminal Law Amendment Act, 1961 (Central Act No. 23 of 1961);

(f) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(g) "scheme" means the scheme of acquisition of land for the planned development of cities of Rajasthan; and

(h) "Urban Development Acts" means Acts of Rajasthan State Legislature providing for development or improvement of urban areas in Rajasthan.

3. Prohibition on transfer of lands acquired by State Government.- No person shall purport to transfer by sale, mortgage, gift, lease or otherwise any land or part thereof situated in the State of Rajasthan which has been acquired by the Government under the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act No. 1 of 1894) or under any other law providing for acquisition of land for a public purpose.

4. Restriction on transfer of lands in relation to which acquisition proceedings have been initiated.- No person shall, except with the previous permission in writing of the competent authority, transfer or purport to transfer by way of sale, mortgage, gift, lease or otherwise any land or part thereof situated in the State of Rajasthan, which is proposed to be acquired in connection with

the scheme and in relation to which a declaration to the effect that such land or part thereof is needed for a public purpose having been made by the State Government under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act No. 1 of 1894) or under the corresponding provision of any other law providing for acquisition of land for a public purpose, and the Government, has not withdrawn from the acquisition under section 48 of that Act or under any such law.

5. Restriction on acquisition of interest in lands situated in notified area.- (1) No person, who is not entitled to enter or remain in any notified area without obtaining a permit in accordance with the provisions of the Criminal Law Amendment Act, 1961 (Central Act No. 23 of 1961), shall, except with the previous permission in writing of the competent authority, acquire any interest in any land or part thereof situated in such notified area.

(2) No Company or body corporate shall, except with the previous permission in writing of the competent authority, acquire any interest in any land or part thereof situated in such notified area.

6. Application for grant of permission for transfer or acquisition of interest.- (1) Any person desiring to transfer any land referred to in section 4 by way of sale, mortgage, gift, lease or otherwise or to acquire any interest in any land referred to in section 5, may make an application in writing to the competent authority containing such particulars as may be prescribed.

(2) On receipt of an application under sub-section (1) the competent authority may, after making such inquiries as it deems fit, by order in writing grant or refuse to grant the permission applied for.

(3) The competent authority shall not refuse to grant permission under this section-

(a) for the transfer of any land referred to in section 4 except on one or more of the following grounds, namely:-

(i) that the land is needed or is likely to be needed for the effective implementation of a scheme; or

(ii) that the land is needed or is likely to be needed for securing the objects of the Urban Development Acts, or for any public purpose for which the land has been or is being acquired; or

(iii) that the land is needed or is likely to be needed for any development within the meaning of the Urban Development Acts or for such things as public buildings and other public works and utilities, roads, housing recreation, industry business, markets, schools and other educational-institutions, hospitals, public open spaces and other categories of public uses;

(b) for acquisition of any interest in any land referred to in section 5 except on one or more of the following grounds, namely:-

(i) that such acquisition is or is likely to be prejudicial to the maintenance of public order or essential supplies or services in the notified area; or

(ii) that such acquisition is or is likely to be prejudicial to the safety or security of India.

(4) Where the competent authority refuses to grant permission under this section, it shall record in writing the reasons for doing so and communicate a copy of the refusal order along with such reasons to the applicant.

7. Appeals against orders of competent authority.- (1) Any person aggrieved by an order of the competent authority under section 6, may, within thirty days of the date of receipt of the order by him, file an appeal to the prescribed authority in such form and containing such particulars as may be prescribed.

(2) On receipt of an appeal under sub-section (1), the prescribed authority shall, after giving to the appellant an opportunity of being heard in the matter, dispose of the appeal as expeditiously as possible.

(3) Every order made by the prescribed authority in appeal under this section shall be final.

8. Period of operation of orders of refusal to grant permission to transfer land.- Where the competent authority has made order under section 6 refusing to grant permission or where, an appeal having been filed against such order, the prescribed authority has made an order under section 7 confirming such order, the order refusing to grant permission shall be in operation only for a period of three years from the date of the order made by the competent authority or the prescribed authority, as the case may be, and thereafter a fresh application for permission may be filed under section 6 .

9. Penalty.- (1) If any person contravenes the provisions of section 3 or section 4, he shall, on conviction, be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both.

(2) If any person contravenes the provisions of section 5, he shall, on conviction, be punishable, with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both and any interest acquired in contravention of the aforesaid section shall, immediately upon such conviction, stand forfeited in favour of the Government.

10. Offences by companies.- (1) If the person committing an offence under this Act is a company, every person, who at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offences were committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), when an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect, on the part of any director, manager, secretary or other officer, he shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.- For the purposes of this section-

(a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director" in relation to a firm, means a partner in the firm.

11. Power to make rules.- (1) The Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the particulars which an application to be made under sub-section (1) of section 6 shall contain;

(b) the authority to which an appeal may be filed under sub-section (1) of section 7, the form in which such appeal may be filed and the particulars which such appeal shall contain;

(c) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

(3) All rules made under this section shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may comprise in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such

rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

12. Repeal.- The Rajasthan Lands (Restrictions on Transfer) Act, 1976 (Act No. 27 of 1976) is hereby repealed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The existing Rajasthan Lands (Restrictions on Transfer) Act, 1976 imposes certain restrictions on transfer of lands acquired or under acquisition for public purposes. It prohibits person who purport to transfer by sale, mortgage, gift, lease or otherwise any land or part thereof situated in the State of Rajasthan which has been acquired by the Government under the Land Acquisition Act, 1894 or any other law providing for acquisition of land for a public purpose. This Act also imposes restriction on transfer of lands in relation to which acquisition proceedings have been initiated except with the previous permission in writing of the competent authority.

It is considered appropriate that the aforesaid Act should be re-enacted to include therein restrictions on acquisition of lands situated in the areas notified under section 3 of the Criminal Law Amendment Act, 1961 where such acquisition is or is likely to be prejudicial to the maintenance of public order or essential supplies or services in the notified area or is or is likely to be prejudicial to the safety or security of India.

The Bill seeks to achieve aforesaid objectives.

Hence the Bill.

हेमाराम चौधरी,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Following clauses of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules with respect to matters stated against each such clause:-

Clause	With respect to
6(1)	prescribing particulars which an application shall contain;
7(1)	prescribing the form in which such appeal may be filed and the particulars which such appeal shall contain;
11	carrying out the purposes of this Act.

The proposed delegations are of the normal character and mainly relate to matters of detail.

हेमाराम चौधरी,
Minister Incharge.

2013का विधेयक सं.17

राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

लोक प्रयोजनों के लिए अर्जित या अर्जन के अधीन भूमियों के अंतरण पर और अधिसूचित क्षेत्र में स्थित किसी भी भूमि में हित के अर्जन पर कतिपय निर्बन्धन अधिरोपित करने और इससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रदीप कुमार शास्त्री,
विशिष्ट सचिव।

(श्री हेमाराम चौधरी, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 17of 2013

THE RAJASTHAN LANDS (RESTRICTIONS ON TRANSFER) BILL, 2013

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to impose certain restrictions on transfer of lands acquired or under acquisition for public purposes and on acquisition of interest in any lands situated in notified area and to provide for the matters connected therewith and incidental thereto.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRADEEP KUMAR SHASTRY,
Special Secretary.

(Hemaram Choudhary, **Minister-Incharge**)